मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल—462004

क्रमांक–एफ–73– 4०/2009/20-3 भोपाल, दिनांक 7-6-2009
प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषयः— अशासकीय संस्था ग्राम सतनामशी गर्ल्स स्कूल कुदनी — — — जिला सीहोर मध्यप्र० — — — — — — — — — — — को सी. बी. एस. ई./~~आई.सी.एस.ई.~~ नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबद् ।

=======

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था ग्राम सतनामशी गर्ल्स स्कूल — — — कुदनी जिला सीहोर मध्यप्र० को सी. बी. एस. ई./~~आई.सी.एस.ई.~~, नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:—

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थायें स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये ।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जावे ।
3. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा ।

निरन्तर..2 पर

MSGH-TECH GURUKUL GIRLS SCHOOL
PRINCIPAL
SCHOOL No.-50414

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।

5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।

6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।

7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।

8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।

10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

निरन्तर..3 पर

MSGM HI-TECH GURUKUL GIRLS SCHOOL
PRINCIPAL
SCHOOL No.-50414

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[signature] 7-6-07

( एल०एस० बघेरे )
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र०-एफ-73- 40/2007/20-3 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - सीहोर म.प्र. ----
3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षण संस्था ~~आरट स्कलनाभली गर्ल्स स्कूल~~ - बुदनी जिला सीहोर - म.प्र. - - - - - - -
4. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

MSG HI-TECH GURUKUL GIRLS SCHOOL
PRINCIPAL
SCHOOL No.-50414

म0प्र0शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 208/425566/2025/20-3 भोपाल, दिनांक 19/5/2025

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था का नाम परिवर्तन बावत्।
संदर्भः- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-एफ 73-40/2007/20-3, दिनांक 7.6.2007

------

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ अतः अनुरोध है कि अशासकीय संस्था-शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल बुधनी, जिला-सीहोर, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंद्धता प्राप्त किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित स्कूल का नाम के *स्थान* पर अब **अशासकीय संस्था-MSG Hi-Tech Gurukul Girls School बांसापुर बुधनी, जिला-सीहोर, म0प्र0 पढ़ा जाय।** शेष आदेश यथावत्।

(ओ0एल0मण्डलोई)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक- 209/425566/2025/20-3 भोपाल, दिनांक 19/5/2025

प्रतिलिपिः-

(1) विशेष सहायक, मान0 मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग..भोपाल..म0प्र0।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सीहोर, म0प्र0।
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-**MSG Hi-Tech Gurukul Girls School बांसापुर बुधनी, जिला-सीहोर, म0प्र0।**
(7) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

MSG HI-TECH GURUKUL GIRLS SCHOOL
PRINCIPAL
SCHOOL No.-50414